राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय) विभाग

क्रमांक:प.10(3)वित्त/राजस्व/10 दिनांक : 08.11.2011

परिपत्र

विषय :– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के परिप्रेक्ष्य में पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की प्रकिया के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से समस्त राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाओं के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था लागू की गई है । यह व्यवस्था लागू करने के पश्चात पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क दवाओं हेतु अपनाई जा रही प्रकिया के संबंध में कतिपय समस्यायें शासन के ध्यान में लाई गई हैं । अतः निःशुल्क दवायें प्राप्त करने में पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पडे इस दृष्टि से निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. अधिकृत चिकित्सकों द्वारा संबंधित पेंशनर की मेडिकल डायरी में ही पूर्वानुसार दवायें लिखी जायेंगी ।
2. चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार दवायें जैनरिक नाम से लिखी जायेंगी। दवायें प्रेस्काईब करते समय अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह भी इंगित किया जायेगा कि इनमें से कौन सी दवा निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुमोदित सूची में से है, तथा कौन सी दवा इसके अतिरिक्त है ।
3. पूर्व प्रकिया के अनुसार पेंशनर्स दवा प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता संघ/ भण्डार की अधिकृत दुकान से सम्पर्क करेंगें ।
4. उपभोक्ता संघ/ भण्डार की दुकान द्वारा पेंशनर को दोनों प्रकार की दवायें, एक ही दुकान पर, उपलब्ध कराई जावेंगी, अर्थात् निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध जैनरिक दवायें तथा अनुमोदित सूची के अतिरिक्त अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रेस्काईब्ड अन्य दवायें ।
5. वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकृत चिकित्सकों द्वारा केवल जैनरिक नाम से (सॉल्ट नेम) दवायें प्रेस्काईब की जा रही हैं । उपभोक्ता संघ/ भण्डारों द्वारा भी जैनरिक/ ब्रान्डेड जैनरिक दवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । यदि अधिकृत चिकित्सक द्वारा जो दवा प्रेस्काईब की जाती है वह उपभोक्ता संघ की दुकान में, जैनरिक/ ब्रान्डेड जैनरिक उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता संघ द्वारा उसी सॉल्ट और पोटेन्सी की ब्रान्डेड दवा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी । इस प्रकार से

ब्रान्डेड दवा उपलब्ध कराते समय बिल में ब्रेन्ड नेम के साथ सॉल्ट नेम भी दर्शाया जायेगा । यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपभोक्ता संघ / भण्डार द्वारा यथासंभव जैनरिक दवायें ही उपलब्ध कराई जायेंगी किन्तु जो दवायें जैनरिक रूप में उपलब्ध नहीं हो उनकी ब्रेन्डेड दवाई उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

6. अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रेस्काईब की गई समस्त दवायें पेंशनर्स को निःशुल्क उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपभोक्ता संघ/ भण्डार की है । यदि कोई दवा उपभोक्ता संघ/ भण्डार की दुकान पर उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में, पेंशनर की सुविधानुसार दवाई की व्यवस्था कर उसी दिन या अगले दिन तक उपलब्ध कराई जा सकती है अथवा पेंशनर यदि स्वयं चाहे तो उसे उस दवा के लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है ।
7. अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात यदि पेंशनर द्वारा बाजार से दवा कय की जाती है तो उसके द्वारा विक्रेता से दवा के कैश मीमो में दवा के ब्रेन्ड नेम के साथ सॉल्ट नेम भी लिखवाया जाना चाहिए ताकि इसके भुगतान में कोई समस्या नहीं आये ।
8. निःशुल्क दवा वितरण योजना लागू करने के बावजूद पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना यथावत लागू रहने को दृष्टिगत रखते हुए, शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि उपभोक्ता संघ/ भण्डारों की दुकाने पर्याप्त संख्या में संचालित की जानी चाहिए ताकि पेंशनर्स को दवा लेने के लिए लम्बे समय प्रतीक्षा नहीं करनी पडे ।

(सी.के. मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

कमांकःप. ( )वित्त/राजस्व/2011 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
4. पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक, मेडिकल एण्ड हैल्थ कारपोरेशन, जयपुर
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
7. सदस्य सचिव, न्यासी बोर्ड, जयपुर

8.11.11

विशेषाधिकारी,
वित्त(राजस्व) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. समस्त प्रधानाचार्य / अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय, राज०
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप खण्ड/ सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान
5. समस्त जिला परियोजना समन्वयक (DNO, RMSC), राजस्थान
6. सुरक्षित

क्रमांक ( )/प्रशासन/2011/41 दिनांक : 08/11/11

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.